

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

बनाम राणा

129, 131, 136 नं 99 सन 2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>25/6/18</p> <p>गैर/प्रार्थनापत्र बाद जौच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिखीगणे को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 25/6/18 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा</p> <p>पत्रावली पेश हुयी। प्रतिवादी पेशीकार सबकार द्वारा जवाब पेश किया गया। जौ बलगत किया गया। 131 नं में प्राप्ति उपरि-पत नही आया। प्रकरण का मेरिट क आधार पर अवलोकन किया गया प्राप्ति का मुख्य कथन यह है कि भोजा एवं पटवार मंडल चिलेश्वर स्थित आ.नं. 2998/1747 स्कूल 1.10 की धा गूमि प्राप्ति का आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन से प्राप्ति इस पर काबिल होकर वादग्रस्त/ विलेखित ग्रामि का उपयोग-अभोग करता आ रहा है। परन्तु उक्त आवंटित ग्रामि जमाबंदी में प्राप्ति क पक्ष में वतीर स्वालेदार दस्तखत है परन्तु सरकारी लड़/नाम में तरमीम नही हुई। अतः वक्त में ग्रामि वादग्रस्त तरमीम करवाया जावे।</p>	<p>के.व.नि.वा.हे.ए.</p> <p>जज</p>

तारीख  
हुकम

न्यायिक

द्वारा

क्र. ११/१८

प्रेस नोटिस या हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
द्वारा (निष्पत्ती)

७०५७

राज्यपाल द्वारा धार्मिक कथन का खण्डन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि धार्मिक द्वारा आंगण आदेश, सिद्धीनामा तथा पञ्जावली में संलग्न तिलम्बा सभरा (नामशाद्वेष) प्रस्तुत नहीं किया है। धार्मिक धार्मिक यह सिद्ध करने में विफल रहे कि अंगुष्ठ (पितामह) स्थान पर धार्मिक का कथना है। धार्मिक प्रकरण में सिद्धीनामा के साथ-साथ तिलम्बा सभरा प्रस्तुत करना चाहिए था। पूर्णप्रमाण के साथ पुनः प्रकरण पेश करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु अपूर्ण दस्तावेज के अभाव में धार्मिक द्वारा प्रस्तुत धार्मिक पूजा विरुद्ध विपक्षी/अधार्मिक प्रमाणिता से परे होने के कारण खारिज किया जाने का आदेश प्रदान किया जा रहा है।

पुनर्पत्री दर्ज रजिस्टर संकम की जाकर जो लाल शुमार हो।

निष्पत्ती आज दिनांक 25.06.18 को शर ईजलास रुनाया गया।



उपखंड अधिकारी पब्लिक  
सहायक कलक्टर करेड़ा